(69)

A-1441-IV-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक -दो/2017 अपील

श्री ... द्वारा आज दि. 23.5.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिन्सेट लाकड़ा पुत्र मोहन लाकड़ा आदिवासी
रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर,
सुदामा कालोनी अशोकनगर
तहसील व जिला अशोकनगर ---अपीलांट

विरुद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, अशोकनगर ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपील अंतर्गत धारा धारा 44, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत - श्रीमान अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 286/2015-16 **अपील में पारित आदेश दिनांक 04-04-2017 के विरुद्ध**)

अपील प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय,

यह कि अपीलांट की पत्नि के नाम ग्राम चारोदा में खाता कमांक 151 पर 7.866 हैक्टर भूमि थी। अपीलांट की पत्नि की मृत्यु उपरांत यह भूमि अपीलांट के नाम हुई है। अपीलांट के नाम ग्राम चारोदा में खाता कमांक 151 पर 7.866 हैक्टर भूमि है तथा ग्राम रेमने तहसील कुनकुरी जिला जशपुर में भी 6.678 हैक्टर भूमि में हिस्सा 1/3 है।

अपीलांट ग्राम चारोदा तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर की खाता कमांक 151 पर धारित 7.866 हैक्टर की भूमि इसलिये विकय कर रहा है क्योंकि अपीलांट की पत्नि का स्वर्गवास हो चुका है अपीलांट का एकमात्र पुत्र महाराष्ट्र में इंजीनियर है एंव एकमात्र पुत्री अमेरिका (सिकागो में रहती है) । अपीलांट सेवा निवृत्त होकर अति-वृद्धावस्था में है एंव तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर के अंचलीय ग्राम चारोदा में रहकर अकेले वृद्ध का खेती करना मुश्किल हो गया है । फलस्वरूप इस भूमि को विकय करके अपीलांट अपने पैत्रिक गॉव रेमने तहसील कुनकुरी जिला जशपुर में सगे भाईयों के पास जाना चाहता है। भूमि विकय से प्राप्त राशि से अपीलांट पत्नि के कैंशर के इलाज में हुये खर्च का कर्जा पटायेगा एंव बची हुई राशि से तहसील कुनकुरी जिला जशपुर में भी 6.678 हैक्टर भूमि में हिस्सा 1/3 भूमि को उन्नत कृषि योग्य बनायेगा।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपीलांट ने आदिवासी होने के कारण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1441–दो/17 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी0 पी0 नायक उपस्थित। शासन की ओर से श्री बी0 एन0 त्यागी पैनल अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 286/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 4.4.2017 के विरूद्व यह अपील म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलांट की पत्नी के नाम ग्राम चारोदा में खाता कमांक 151 पर 7.866 है0 भूमि थी। अपीलांट की पत्नी की मृत्यु उपरांत यह भूमि अपीलांट के नाम हुई है। अपीलांट के नाम ग्राम चारोदा में खाता कमांक 151 पर 7.866 भूमि है तथा ग्राम रेमने तहसील कुनकुरी जिला जशपुर में भी 6.678 है0 भूमि में हिस्सा 1/3 है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि वह अपनी भूमि विकय कर जशपुर भाईयों के साथ रहना चाहता है तथा भूमि विकय कर पत्नी के कैंसर के इलाज में हुये कर्जे को पटाना चाहता	

है। अंत में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विकय की अनुमति का अनुरोध किया गया है।

3– अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी अपील मेमों में उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि की विकय की अनुमति चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं पटवारी ग्राम से रिपोर्ट आहूत की गयी । पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया था कि अपीलाथी भूमि विकय करने के पश्चात भूमिहीन हो जायेगा । तहसीलदार के समक्ष दिनांक 28.3.2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया है कि सर्वे कमांक 40, 41, 114 संबत 2004 से शासकीय मद में दर्ज रही है बाद में यह भूमि बंटित की गयी है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो के आधार कमांक–2 में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी की पत्नी द्वारा यह भूमि कय की गई थी, लेकि अपीलार्थी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है

कि भूमि कब और किससें कय की गई थी और अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा यह भी उचित निष्कर्ष अपने आदेश में निकाला गया है कि अपीलार्थी का विकय का अनुबंध किससे से हुआ है यह भी प्रमाणीकरण के तौर पर कुछ भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इन सब परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुये अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 4.4.2017 विधि पावधानों से उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतएवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 286/अपील/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 4.4. 2017 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य